



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227451
CG-DL-E-10062021-227451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2060]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2060]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2220(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में NH160 Ext. के कि.मी. 19.68 से कि.मी. 69.5 (क्लेक्टर ऑफिस कैपस) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा। ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सबडिविशनल अफसर श्रीगोंदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात्

तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में NH160 Ext. के कि.मी. 19.68 से कि.मी. 69.5 (कलेक्टर ऑफिस कैपस)

के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अहमदनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: श्रीगोंदा					
गांव का नाम: बेलवंडी बुद्रुक					
1	422	निजी	कृषक	0.0012000(हेक्टेयर)	0.0012000
2	461	निजी	कृषक	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
गांव का नाम: चिखली					
1	213	निजी	कृषक	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
2	328	निजी	कृषक	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
3	439	निजी	कृषक	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: धारगाव					
1	663	निजी	कृषक	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
गांव का नाम: काष्टी					
1	786	निजी	अकृषक	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
गांव का नाम: कोळगाव					
1	420	निजी	कृषक	0.0454000(हेक्टेयर)	0.0454000
2	425	निजी	कृषक	0.1351000(हेक्टेयर)	0.1351000
3	523	निजी	कृषक	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
4	750	निजी	कृषक	0.0682000(हेक्टेयर)	0.0682000
गांव का नाम: लोनी व्यंकनाथ					
1	885	निजी	कृषक	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000

गांव का नाम: महे वडगाव					
1	126	निजी	कृषक	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
2	127	निजी	कृषक	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
3	141	निजी	कृषक	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
गांव का नाम: महादेववाडी (लोणी खालची)					
1	27	निजी	कृषक	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
2	28	निजी	कृषक	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
कुल				0.8129	0.8129

[फा. सं. NH-12014/91/2016-MAH(P-6)/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2220(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH160 Ext. in the stretch of land from Km. 19.68 to Km. 69.5 (Collector office campus) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Shrigonda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH160 Ext. in the stretch of land from Km. 19.68 to Km. 69.5 Ext. (Collector office campus) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: AHMEDNAGAR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shrigonda					
Village: Belwandi Budruk					
1	422	Private	Agriculture	0.0012000(Hectare)	0.0012000
2	461	Private	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Chikhali					
1	213	Private	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
2	328	Private	Agriculture	0.0010000(Hectare)	0.0010000
3	439	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Ghargaon					
1	663	Private	Agriculture	0.0130000(Hectare)	0.0130000
Village: Kashti					
1	786	Private	Non Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Village: Kolgaon					
1	420	Private	Agriculture	0.0454000(Hectare)	0.0454000
2	425	Private	Agriculture	0.1351000(Hectare)	0.1351000
3	523	Private	Agriculture	0.0060000(Hectare)	0.0060000
4	750	Private	Agriculture	0.0682000(Hectare)	0.0682000
Village: Loni Vyanknath					
1	885	Private	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Madhe Wadgaon					
1	126	Private	Agriculture	0.1400000(Hectare)	0.1400000
2	127	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
3	141	Private	Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
Village: Mahadeowadi (Loni Khalchi)					

1	27	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
2	28	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Total				0.8129	0.8129

[F. No. NH-12014/91/2016-MAH(P-6)/3A2]

RAJESH GUPTA, Director